

 सत्यमेव जयते	राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
	साधिकार प्रकाशित	Published by Authority
	आषाढ़ 19, गुरुवार, शाके 1947- जुलाई 10, 2025 Asadha 19, Thursday, Saka 1947- July 10, 2025	

भाग 6 (ग)

ग्राम पंचायत संबंधी विज्ञप्तियां आदि।
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(पंचायती राज)
अधिसूचना
जयपुर, जून 30, 2025

संख्या एफ. 15(7)पंरावि/विधि/नगरीय निकाय/25/ईफाईल-53892/16119355 :- स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर की अधिसूचना क्रमांक 8031 दिनांक 27.03.2025 के द्वारा ग्राम पंचायत मूडिया का राजस्व ग्राम ईशना का सम्पूर्ण सीमा क्षेत्र, ग्राम पंचायत गंगावक का राजस्व ग्राम पीलूकी का सम्पूर्ण सीमा क्षेत्र, **ग्राम पंचायत फतेहपुर कला का राजस्व ग्राम नीमकी** के सम्पूर्ण सीमा क्षेत्र को नगर पालिका नगर (जिला डीग) की वर्तमान सीमा क्षेत्र में सम्मिलित किये जाने के फलस्वरूप राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम, 1994 (1994 का अधिनियम संख्या-13) की धारा-101 में वर्णित शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त नगर पालिका में सम्मिलित की गई उक्त ग्राम पंचायत / राजस्व ग्रामों को विभागीय अधिसूचना क्रमांक एफ.15(7)पंरावि/विधि/नगरीय निकाय/25/ईफाईल-53892/14850653 दिनांक 22.04.2025 के द्वारा पंचायती राज संस्थाओं की सीमाओं से पृथक कर दिया गया था।

चूंकि स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर द्वारा उनकी अधिसूचना क्रमांक 12987 दिनांक 23.06.2025 के द्वारा उनकी विभागीय अधिसूचना क्रमांक 8031 दिनांक 27.03.2025 द्वारा नगर पालिका, नगर की सीमा क्षेत्र में सम्मिलित किये गये नवीन सीमा क्षेत्र में से ग्राम पंचायत फतेहपुर कला का राजस्व ग्राम नीमकी के सम्पूर्ण सीमा क्षेत्र को प्रशासनिक कारणों को दृष्टिगत रखते हुए नगर पालिका सीमा से पृथक किया गया है जिसके फलस्वरूप राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 (1994 का अधिनियम संख्या-13) की धारा-101 में वर्णित शक्तियों का प्रयोग करते हुए **ग्राम पंचायत फतेहपुर कला का राजस्व ग्राम नीमकी के सम्पूर्ण सीमा क्षेत्र को पंचायती राज संस्थाओं की सीमाओं में सम्मिलित किया जाता है।**

आज्ञा से,
इन्द्रजीत सिंह,
उपायुक्त एवं
उप शासन सचिव (प्रथम) ।